

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) नं.1415

थाना कांड सं.-169 वर्ष-2014 थाना-सोनपुर जिला-सारण से उत्पन्न

1. सबुजदेव दास, रविदास का पुत्र, गाँव-नेताडीपारा, थाना-धूपकुरी, जिला-जलपाईगुड़ी का निवासी।
2. टोटन दास, भावेश चंद्र दास का पुत्र, गाँव-पायागढ़, थाना-माथाभंगा, जिला-कुचबिहार का निवासी।
3. देवाशीष वर्मन, सीतानाथ वर्मन का पुत्र, गाँव-पायागढ़, थाना-माथाभंगा, जिला-कुचबिहार का निवासी।

..... याचिकाकर्त्ता/गण

बनाम्

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-धारा 20(बी)(ii)(सी) और 22(सी)-गांजा दोषसिद्धि और सजा-भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत अपराध से बरी करना-हालांकि बरामद प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती सूची मौके पर तैयार किया गई थी, थे। परन्तु उसपर कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा थाना में हस्ताक्षर किए गए थे और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जब्त किए गए पैकेटों से नमूने कार्यकारी दंडाधिकारी या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिए गए थे - यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि बरामदगी के समय मौके पर नमूने नहीं लिए गए थे। यह केन्द्र सरकार के आदेश की स्थायी संख्या 1989 के 1 का स्पष्ट उल्लंघन है - तत्काल मामले में जप्त सामग्री के सूची के साथ-साथ कार्यकारी दंडाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नमूना लेने की प्रक्रिया की फोटोग्राफी नहीं कि गई थी यह एक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन - कथित प्रतिबंधित सामग्री के सभी जप्त किए गए पैकेट निचली अदालत में पेश नहीं किये गये। अभियोजन पक्ष द्वारा कि गई ऐसी लापरवाही आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में जाती है- जब्त की गई सामग्री का नहीं पेश करना केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं कि, बल्कि इससे अभियुक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा- दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश रद्द कर दिया गया - अपील की अनुमति दी गई। (पैरा 18, 19, 20, 24, 25 और 26) संदर्भित मामले: धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2023 (4) बीएलजे 695; 2023 (3) पीएलजेआर 539; जीतेन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2004)10 एससीसी 562; मांगी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सीआर. 2023 की अपील संख्या 1651—विश्वसनीय।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) नं.1415

थाना कांड सं.-169 वर्ष-2014 थाना-सोनपुर जिला-सारण से उत्पन्न

1. सबुजदेव दास, रविदास का पुत्र, गाँव-नेताडीपारा, थाना-धूपकुरी, जिला-जलपाईगुड़ी का निवासी।
2. टोटन दास, भावेश चंद्र दास का पुत्र, गाँव-पायागढ़, थाना-माथाभंगा, जिला-कुचबिहार का निवासी।
3. देवाशीष वर्मन, सीतानाथ वर्मन का पुत्र, गाँव-पायागढ़, थाना-माथाभंगा, जिला-कुचबिहार का निवासी।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम्

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से: श्री धनेश शंकर विद्यार्थी, अधिवक्ता श्री दया शंकर प्रसाद सिन्हा,

अधिवक्ता प्रत्यर्थी/ओं की ओर से:- सुश्री अनीता कुमारी सिंह, एपीपी.

कोरम:- माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

दिनांक:- **29-08-2023**

1. पक्षों को सुना।

2. यह अपील 2014 के सोनपुर थाना कांड संख्या 169 से उत्पन्न होने वाले 2014 का मामला संख्या 11 (2014 का सी. आई. एस. पंजीकरण संख्या 101), जिसके तहत और जिसके तहत अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा 20 (बी) (आई) (सी) और 22 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, और 10 साल के कठोर कारावास

की सजा और पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के संबंध में छपरा में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सरन द्वारा पारित सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। 2017 का एपीपी (एसजे) No.1415 दिनांक 29-08-2023 रुपये 1,00,000 मात्र का जुर्माना भरें। प्रत्येक (केवल एक लाख रुपये) उक्त अपराधों के लिए, जुर्माने के भुगतान की चूक में, आगे 3 साल की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा और दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

3. अपीलार्थियों और सह-अभियुक्त व्यक्तियों, राकेश सिंह और चंदन सिंह पर एक साथ मुकदमा चलाया गया और उन पर संयुक्त रूप से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (इसके बाद "एनडीपीएस एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 22 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया और अपीलार्थियों पर आईपीसी की धारा 414 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी आरोप लगाया गया। अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 22 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और ऊपर उल्लिखित सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें आई. पी. सी. की धारा 414 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया था। सह-अभियुक्त राकेश सिंह और चंदन सिंह को उन पर लगाए गए अपराधों से बरी कर दिया गया।

4. अभियोजन पक्ष के मामले का सार यह है कि 09.05.2014 को लगभग 5 बजे:45 अपराह्न में, सूचना देने वाले, सोनपुर थाना के पुलिस उप-निरीक्षक, जब वह गश्त ड्यूटी पर थे, सोनपुर थाना के प्रभारी अधिकारी से एक वायरलेस सूचना और निर्देश प्राप्त हुआ कि वे एन.एच.-19 के पास स्थित आनंद विहार होटल की ओर भाग, जहाँ विशेष कार्य बल (संक्षेप में एस.टी.एफ) की एक टीम है। पटना ने गांजा के तस्करों को पकड़ा था। इसके बाद, वह उक्त होटल के सामने पहुंचे और देखा कि एस. टी. एफ. की टीम लाल रंग की पंजीकरण संख्या डब्लू बी 74 डब्लू-9977 ऑल्टो कार के पास खड़ी थी। और तीन व्यक्ति कार के अंदर बैठ रहे थे जिन्होंने अपने नाम सबुजदेव दास, टोटन दास और देवाशीष वर्मन (अपीलकर्ता) के रूप में बताए। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि उपरोक्त कार से 23 हरे पॉलीथीन के पैकेटों में लिपटे 65 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ जब्त किए गए और पकड़े गए व्यक्तियों ने उक्त ऑल्टो कार का कोई कागज नहीं दिखाया, उसके बाद एक पैकेट खोला गया और उसमें मादक पदार्थ प्रतिबंधित गांजा पाया गया और वह समाचार पत्र में लिपटे हुए पाए गए।

अपीलार्थियों के कब्जे से, मोबाइल फोन और रु। 3000/- भी बरामद किए गए और पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वे कथित प्रतिबंधित पदार्थ माथाभंगा से शीतलपुर में राकेश सिंह (अब बरी) को देने के लिए ले जा रहे थे और वे मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त राकेश सिंह के संपर्क में थे। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपलब्धता के कारण, ऑल्टो कार, मोबाइल फोन और रुपये 3000/- मात्र के साथ 23 पैकेट बरामद किए गए। पी. एस. आई., धर्मेन्द्र कुमार और जूनियर कमांडो जितेंद्र पासवान की उपस्थिति में रुपये जब्त किए गए और तदनुसार जब्ती सूची तैयार की गई।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 8 तक कुल आठ गवाहों से पूछताछ की और निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा किया जिन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था: .

(i) प्रदर्श 1: जब्ती सूची में केवल बिजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं।

(ii) प्रदर्श 1/1: जब्ती सूची में निर्मल कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं।

(iii) प्रदर्श 2: बरामदगी सूची।

(iv) प्रदर्श 3: श्री राम राम नामक एक स्व-लिखित अनुप्रयोग।

(v) प्रदर्श 4: स्व-लिखित आवेदन पर एक समर्थन।

(vi) प्रदर्श 5, 6, 7 और 8: इकबालिया बयान पर चंद्र भूषण मिश्रा नाम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर देवाशीष वर्मन और राकेश सिंह के बयान और जब्ती सूची और एफ़. आई. आर.

(x) प्रदर्श 9: एफ. एस. एल. की जांच के संबंध में अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति।

(xi) प्रदर्श 10: जब्ती सूची में जितेंद्र पासवान के हस्ताक्षर हैं।

(xii) प्रदर्श 11: एफ. एस. एल. पटना की एफ. एस. एल. रिपोर्ट संख्या 1752/14 दिनांक 16.09.2014।

6. मुकदमे के दौरान, जब्त किए गए 23 पैकेटों में से 13 पैकेट भौतिक वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत किए गए थे और उसे ही प्रदर्श सं.-1 से XIII के रूप में चिनिहत किया गया

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अपीलार्थियों/अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए और उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से अपने खिलाफ पेश होने वाली मुख्य परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को निर्दोष होने का दावा किया।

8. अपीलार्थियों ने अपने बचाव में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया।

9. अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब कथित कार से कथित निषिद्ध पदार्थ जब्त किए गए थे, तब अपीलार्थियों की स्थिति और उपस्थिति के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जानकारी, जो पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई थी, जिसे पहली बार घटना की जानकारी मिली थी, वह N.D.P.S की धारा 42 (2) के प्रावधान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी को दी गई थी। अधिनियम और कथित निषिद्ध पदार्थों की जब्ती ज्ञापन कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों से नमूने लेने और उन्हें सील करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं की गई थी और न ही जब्त की गई सामग्री की सूची और न ही उसकी फोटोग्राफी पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के नमूने लेने की प्रक्रिया के दौरान की गई थी। और जब जब्त की गई वस्तुओं को सील किया जा रहा था। आगे की दलीलें यह हैं कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूने कार्यकारी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नहीं लिए गए थे और संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा नमूने प्राप्त करने के समय और एफ. एस. एल. विभाग को सौंपे जाने के समय के बीच काफी अस्पष्टीकृत देरी हुई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त देरी की व्याख्या नहीं की गई थी।

10. उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस मामले में पारित इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है - धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017 का आप. अपील (खंड-पीठ) संख्या 1214) पी. एल. जे. आर. 2023 (3) पृष्ठ 539 में सूचित किया गया है।

11. विद्वान एपीपी ने अपील का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि तत्काल मामला 23 पैकेटों में रखे 65 किलोग्राम गांजा की भारी मात्रा की बरामदगी से संबंधित है जो एक कार से बरामद किए गए थे और वे अपीलार्थियों के विशिष्ट कब्जे में पाए

गए थे और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि जब्त की गई वस्तुओं की जब्ती मौके पर तैयार की गई थी, वह जानकारी जो शुरू में संबंधित पुलिस अधिकारी को आयोग के संबंध में मिली थी। कथित घटना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी गई थी और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ से लिए गए नमूने की एफ. एस. एल. विभाग द्वारा जांच और परीक्षण किया गया था और यही गांजा के रूप में माना गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि मुकदमे के दौरान जब्त किए गए कुल 23 पैकेटों में से 13 पैकेटों को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिन्हें सामग्री प्रदर्श I से XIII के रूप में चिह्नित किया गया था- और शेष पैकेटों को कथित शेष पैकेटों को नष्ट करने के कारण जांच अधिकारी द्वारा पेश नहीं किया जा सका, जिसे एस. एच. ओ. द्वारा तब समझाया गया था जब निचली अदालत द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि जब्त की गई सामग्री को जमा करने के संबंध में मलखाना रजिस्टर में प्रासंगिक प्रविष्टि की गई थी और अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए अपराधों को साबित करने में सफल रहा, जिन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और उन पर लगाए गए अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है और तत्काल अपील में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

12. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और अभिलेख में उपलब्ध सबूतों का अध्ययन किया है। विचार करने के लिए मुख्य बिंदु हैं:

- (i) क्या अभियोजन पक्ष 65 किलोग्राम मादक पदार्थ की बरामदगी साबित करने में सफल रहा, अर्थात् एक कार में 23 पैकेटों में रखा गया गांजा?
- (ii) क्या अभियोजन पक्ष अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के साथ-साथ जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के नमूने लेने, जब्त करने, फोटोग्राफी करने, सूची तैयार करने और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को निचली अदालत के समक्ष पेश करने आदि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन को साबित करने में सफल रहा?

13. सबसे पहले, मैं अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों पर चर्चा करना चाहूंगा जो उपर्युक्त बिंदुओं के संबंध में प्रासंगिक हैं।

14. पी. डब्ल्यू. 2. श्री राम राम, जो इस मामले के मुखबिर हैं, ने जिरह में कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली थी, उसे उन्होंने लिखित रूप में नहीं बताया था और उसे वरिष्ठ अधिकारी को भी नहीं भेजा गया था। उन्होंने आगे पैराग्राफ सं. 11 प्रतिपरीक्षा कि अभियुक्त व्यक्तियों को राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष तलाशी लेने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मौके पर जब्ती ज्ञापन तैयार किया था, लेकिन उसी पर पुलिस स्टेशन में कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने आगे पैराग्राफ सं. 13 जिरह के बारे में कि जब्त किए गए 23 पैकेटों को एक बोरे में रखा गया था जिसे सील कर दिया गया था, लेकिन उन्हें उस मुहर का विवरण या नाम याद नहीं था जिसका उपयोग सील लगाने की प्रक्रिया में और उन्होंने मुहर की प्रति अदालत को नहीं भेजी। उन्होंने प्रतिपरीक्षा पैराग्राफ सं.-20 में बयान दिया कि उसने जब्त की गई सामग्री को मलखाना में जमा किया, लेकिन मलखाना रजिस्टर का क्रम संख्या नहीं बता सका जहां जब्त और जमा की गई वस्तुओं को दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रतिपरीक्षा पैराग्राफ में सं. 22 और 23 आगे कहा कि दंडाधिकारी कभी भी उसके सामने नहीं आया और उसे नहीं पता था कि जब्त की गई सामग्री को नष्ट कर दिया गया था या नहीं?

15. पी. डब्ल्यू. 3 चंद्रभूषण मिश्रा, जो सोनपुर पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. थे, ने मुख्य परीक्षण को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एस. टी. एफ. के कुछ अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आनंद विहार होटल के पास मादक पदार्थ गांजा के साथ एक कार जब्त की है, फिर उन्होंने शाम को गश्त करने वाले पुलिस दल को उक्त होटल में पहुंचने के लिए कहा और गश्त करने वाले पुलिस अधिकारी श्री राम राम को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया और उप-मंडल अधिकारी से दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्होंने गश्ती अधिकारी श्री राम राम को वायरलेस पर जब्त की गई सामग्री लाने का निर्देश दिया और आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया और इसी बीच एक कार्यकारी दंडाधिकारी सतेंद्र कुमार सिंह भी पुलिस थाने पहुंचे जिन्होंने जब्त की गई सामग्री का निरीक्षण किया और जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने पैराग्राफ सं. में आगे बयान दिया। मुख्य परीक्षण कि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी की घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। उन्होंने पैराग्राफ सं. 7 में बयान दिया। मुख्य परीक्षण ने कहा कि जब्त की गई सामग्री को सोनपुर पुलिस स्टेशन के मलखाना में रखा गया था। उन्होंने प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में कहा कि पुलिस अधिकारी श्री राम राम जब्त किए गए

प्रतिबंधित पदार्थ को बिना सीलबंद हालत में लाए थे। उन्होंने पैराग्राफ नं.16 जिस प्रतिपरीक्षा पर दंडाधिकारी ने थाने में जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ सं. 21 में कहा। कि सोनपुर पुलिस थाने में शाम 7 बजे प्रतिबंधित पदार्थ का नमूना लिया गया और शायद 10 से 15 पैकेटों से नमूने लिए गए और उसके बाद पी. डब्ल्यू. 6 जमशेद आलम द्वारा सामग्री को सील कर दिया गया।

16. पी. डब्ल्यू. 5 मनोज कुमार सिंह (ए. एस. आई.) वह व्यक्ति है जिसने जब्त की गई सामग्री को निचली अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने मुख्य परीक्षण में गवाही दी कि उन्होंने अदालत के सामने केवल 13 पैकेट पेश किए। उक्त पैकेटों को सामग्री प्रदर्श संख्या I से XIII के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने जिरह में कहा कि जब्त की गई सामग्री को पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के दो बोरे में रखा गया था। डिब्बे से बाहर लाने के बाद बोरे को रस्सी से बांध दिया गया था। वह डिब्बा सीलबंद हालत में था जिसे एस. एच. ओ. ने तोड़ा था, लेकिन उस समय कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था और बोरे में भौतिक वस्तुओं को डालने के बाद उनके मुंह को सील नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सभी 13 पैकेटों पर किसी भी प्रकार की मुहर नहीं थी।

17. पी. डब्ल्यू. 7 कन्हैया जी मिश्रा वह व्यक्ति हैं जो रासायनिक जांच के लिए नमूने एफ. एस. एल., पटना ले गए थे। उन्होंने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्होंने एफ. एस. एल., पटना में नमूना लेने और जमा करने के लिए संबंधित अदालत से अनुमति प्राप्त की और उसे एफ. एस. एल., पटना में 21.07.2014 को जमा किया। उन्होंने जिरह में कहा कि उन्हें 08.07.2014 पर नमूने के पैकेट मिले हैं।

18. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि हालांकि बरामद प्रतिबंधित पदार्थों की जब्ती सूची मौके पर तैयार की गई थी, लेकिन उसी पर थाना कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जब्त किए गए पैकेटों से नमूने कार्यकारी दंडाधिकारी या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिए गए थे और इसके अलावा यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि नमूने बरामदगी के समय मौके पर नहीं लिए गए थे, जो कि केन्द्र सरकार की 1989 की आदेश सं. 1 का स्पष्ट उल्लंघन है।

19. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि जब्त की गई सामग्री की सूची के साथ-साथ कार्यकारी दंडाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नमूने लेने की प्रक्रिया की फोटोग्राफी वर्तमान मामले में नहीं की गई थी/आयोजित नहीं की गई थी जो कि अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यद्यपि अभियोजन पक्ष के अनुसार कार्यकारी दंडाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों का निरीक्षण किया, लेकिन उक्त अधिकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा निचली अदालत के समक्ष गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया और उससे पूछताछ नहीं की गई, इसलिए इस संबंध में पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं लगता है।

20. तत्काल मामले में, कथित प्रतिबंधित पदार्थ वाले सभी जब्त किए गए पैकेटों को निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया और जब्त किए गए 23 पैकेटों में से केवल 13 पैकेट पेश किए गए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने यह दलील दी कि बाकी पैकेटों को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने के कारण पेश नहीं किया जा सका। उक्त बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और अभियोजन पक्ष को जब्त किए गए पैकेटों को मलखाना में उचित हिरासत/स्थिति में रखने के साथ-साथ निचली अदालत में पेश करने के अपने कर्तव्य का पालन प्रस्तुत के लिए दोषमुक्त नहीं करता है। और अभियोजन पक्ष की ओर से की गई कथित लापरवाही के मामले में आरोपी व्यक्तियों (अपीलकर्ताओं) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में जाती है। जितेन्द्र एवं अन्य मध्य प्रदेश राज्य ने 2004 (10) एस. सी. सी. 562 में बताया कि "सबसे अच्छा सबूत जब्त की गई सामग्री होगी जिसे मुकदमे के दौरान चिह्नित भौतिक वस्तुओं के रूप में पेश किया जाना चाहिए था, उनकी विशेषताओं के रूप में केवल मौखिक साक्ष्य और पंचनामा का प्रस्तुतीकरण अभियोजन पक्ष पर भारी बोझ नहीं डालता है, विशेष रूप से जब अपराध एक कठोर सजा के साथ दंडनीय है। जैसा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत और यह आगे देखा गया कि जब्त की गई दवाओं को प्रस्तुत न करना केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी और यह अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह का कारण बना इसलिए यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्त सिद्धांत के आलोक में, अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से कथित रूप से जब्त किए गए 10 पैकेटों को निचली अदालत के समक्ष पेश न करना अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता है और उसके मामले को संदिग्ध बनाता है।

22. उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्य से यह पता चलता है कि जब्त की गई सामग्री संबंधित थाने के मलखाना में जमा की गई थी और आवश्यक प्रविष्टियां की गई थीं। मलखाना रजिस्टर आवश्यक प्रविष्टियों की गई थी लेकिन इस संबंध में न तो उक्त रजिस्टर और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया गया था और उक्त तथ्य भी अभियोजन पक्ष के खिलाफ जाता है।

23. पी. डब्ल्यू. 7 के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे 08.07.2014 को नमूना मिला और उसके बाद उसे 11.07.2014 को एफ. एस. एल., पटना में जमा करने के लिए संबंधित अदालत का आदेश मिला, लेकिन उसने कई दिनों तक नमूना अपने कब्जे में रखा और एफ. एस. एल., पटना में 21.07.2014 को जमा किया और एफ. एस. एल., पटना में उक्त नमूना जमा करने में अपनी ओर से हुई उक्त देरी के बारे में, उसके साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और उक्त तथ्य अभियोजन पक्ष के आरोप में गंभीर संदेह पैदा करता है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब्त किए गए पैकेटों को सील कर दिया गया था और मुहर पर जमशेद आलम का नाम था, लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारी ने मुहर के नमूने का कोई ज्ञापन नहीं बनाया और अभियोजन पक्ष मुहर के नमूने का ज्ञापन प्रस्तुत करके इसे साबित करने में विफल रहा।

24. तत्काल मामले में, जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पर्याप्त विवरण के साथ जब्त मादक पदार्थों की सूची तैयार नहीं की और न ही जब्त किए गए पैकेटों को सील करने और नमूने लेने की प्रक्रिया की फोटोग्राफी की गई, इसलिए उक्त पटना उच्च न्यायालय सी. आर. ने कहा जाँच अधिकारी की ओर से लापरवाही जाँच की प्रक्रिया में निष्पक्षता और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के बारे में सवाल उठाती है। मांगी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में आप. अपील सं. 2023 की 165 में पारित हुआ। महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।

25. तत्काल मामले में, स्वीकार्य रूप से अपीलार्थियों के कब्जे से जब्त किए गए 23 पैकेटों में से 10 पैकेटों को निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष ने याचिका दायर की कि उक्त 10 पैकेट प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गए। केंद्र सरकार के 1989 के स्थायी आदेश संख्या 1 के अनुसार, संबंधित अधिकारी के लिए इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ को डबल-लॉकिंग प्रणाली के साथ प्रदान किए गए सेफ और वॉल्ट में संग्रहीत करना अनिवार्य है,

लेकिन वर्तमान मामले में पुलिस जब्त किए गए पैकेटों को सुरक्षित तरीके से रखने और संग्रहीत करने में लापरवाही बरती है और पुलिस की ओर से लापरवाही अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर बनाती है।

26. पूर्वनिर्दिष्ट कारणों से, मैं अपीलार्थियों को दोषी ठहराने वाले निर्णय और उन्हें सजा देने के आदेश की पुष्टि करने के लिए राजी नहीं हूँ, इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अपील की अनुमति है। अपीलार्थी हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए।

27. इस फैसले के तत्काल अनुपालन के लिए फैसले की प्रति संबंधित अदालत और जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

28. एल. सी. आर. को निचली अदालत में वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खण्डन (डिस्ट्रिक्टेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।